बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक : 11/02/19

संख्याः–6/एन–7–35/10–204(6)/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन परिचारिका संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
   (i) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ii) 'विभाग' से अभिप्रेत है स्वास्थ्य विभाग;
   (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है ग्रेड 'ए' नर्स के संदर्भ में संयुक्त निदेशक (नर्सिंग), नर्सिंग निदेशालय, बिहार तथा सेवा के सभी उच्चतर पदों के संदर्भ में बिहार राज्य सरकार;
   (iv) 'जी0एन0एम0' से अभिप्रेत है जेनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी;
   (v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग;
   (vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार परिचारिका संवर्ग;
   (vii) 'परिशिष्ट' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अंत में अंकित परिशिष्ट; तथा
   (viii) 'मान्यता प्राप्त संस्थान' से अभिप्रेत है भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार से जी0एन0एम0 कोर्स के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान।

3. **संवर्ग का गठन।**– यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या उतनी ही होगी, जितनी सरकार, समय–समय पर, अवधारित करें।

4. **संवर्ग का पदसोपान।**– इस संवर्ग के विभिन्न कोटियाँ एवं पदसोपान परिशिष्ट के अनुसार होंगें।

5. **भर्ती।**– इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, सीधी भर्ती से होगी।

6. **अर्हताएँ।**– (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर अवधारित अवधि का जी0एन0एम0 में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी को बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा।
   (2) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय–समय पर, आरक्षण कोटिवार विनिश्चिय की जाय :–
   परन्तु संविदा के आधार पर बिहार राज्य के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त एंव कार्यरत ग्रेड 'ए' नर्स को, उपनियम (1) में अवधारित अर्हताऍं रहने पर, नियुक्ति में अवसर देने के प्रयोजनार्थ, विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा में, समय–समय पर, छूट दी जा सकेगी।
   (3) संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के अवधारण के प्रयोजनार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।**– (1) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :–

(क) जी0एन0एम0 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए	–	60 अंक
(ख) उच्चतर कोर्स के लिए (यदि हो तो)	–	15 अंक
(ग) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
कुल	–	**100 अंक**

स्पष्टीकरण ।– जी0एन0एम0 कोर्स के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा कर करना होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50 X 0.6 = 30 अंक दिये जायेंगे।

(3) आयोग उपर्युक्त उपनियम (2) के आधार पर तैयार मेधासूची एवं अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को भेजेगा। विभाग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच किये जाने के पश्चात् स्वास्थ्य जाँच, पूर्ववृत्त सत्यापन आदि कराते हुए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत नियुक्ति संबंधी दिशा–निदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति करेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि** ।– नियुक्ति के उपरान्त परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि, विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे ग्रेड 'ए' नर्स को सेवामुक्त कर सकेगा।

9. **विभागीय परीक्षा** ।– ग्रेड 'ए' नर्स को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद्, बिहार द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण राजस्व पर्षद् बिहार द्वारा विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

10. **सम्पुष्टि** ।– परिवीक्षा अवधि में संतोषजनक सेवा होने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ग्रेड 'ए' नर्स को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

11. **वरीयता** ।– ग्रेड 'ए' नर्स की आपसी वरीयता का अवधारण आयोग द्वारा तैयार मेधा–सूची के अनुसार अवधारित किया जायेगा।

12. इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लिखित इस संवर्ग के पदों पर, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

13. **प्रोन्नति के सोपान** ।– (1) सेवा में सम्पुष्ट ग्रेड 'ए' नर्स को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर ग्रेड 'ए' नर्स के पद से वार्ड बहन (वार्ड सिस्टर) के अगले पद सोपान के पद पर प्रोन्नति विचारणीय हो सकेगी।

(2) मेट्रॉन/उप परिचारिका अधीक्षक – इस पद को वार्ड बहन (वार्ड सिस्टर) के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(3) परिचारिका अधीक्षक– इस पद को मैट्रोन/उप–परिचारिका अधीक्षक के पदधारकों के बीच से, रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

(4) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत, कालावधि संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा। प्रोन्नति संबंधी, चारित्री या पी0ए0आर0 संबंधी मुहरबन्द लिफाफा पद्धति आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति समिति** ।– (1) प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जाएगा।

15. आरक्षण।— सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार द्वारा, समय–समय पर, सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. शक्तियों का प्रत्यायोजन।— (1) संवर्ग नियंत्री प्राधिकार अपनी कुछ शक्तियों को संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के अधीक्षक/सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

17. परिधान (यूनिफार्म)।— परिचारिकाओं के लिए कर्त्तव्य के दौरान विभाग द्वारा विनिश्चित परिधान (यूनिफार्म) धारित करना अनिवार्य होगा।

18. अवशिष्ट मामले।—इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

19. शंकाओं का निराकरण।— यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. कठिनाई का निराकरण।— यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण ऐसे सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् कर सकेगा।

21. निरसन एवं व्यावृति।— (1) बिहार परिचारिका संवर्ग नियमावली, 2013 एतद् द्वारा निरसित की जाती हैं।

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेंगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

परिशिष्ट

[नियम 2 (vii), 4, 12, 13 द्रष्टव्य]

बिहार परिचारिका संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम
1.	मूल कोटि	ग्रेड 'ए' नर्स/स्टाफ नर्स ग्रेड 'ए'
2.	प्रोन्नति का प्रथम सोपान	वार्ड बहन (वार्ड सिस्टर)/नर्सिंग सिस्टर
3.	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान	मैट्रोन/उप परिचारिका अधीक्षक
4.	प्रोन्नति का तृतीय सोपान	परिचारिका अधीक्षक

नोट :— उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतन बैंड, ग्रेड–पे एवं पे–लेवल वही होगा जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :–6/एन–7–35/10 904(6) / पटना, दिनांक 11/02/19

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11/2/19

सरकार के विशेष सचिव